

Form No. III  
फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़

मुकाम चित्तौड़गढ़

कैलाशचन्द्र

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी

कार्यवाही अन्तर्गत :-

नियम 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ  
(वितरण का विनियमन) आदेश 1976

किस्म मुकदमा

अपील (रसद)

नं० 005

सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। अपीलार्थी स्वयं हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। न्यायालय समय समाप्त होने से पूर्व पुनः आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। वकील अपीलार्थी हाजिर नहीं। अपीलार्थी स्वयं हाजिर नहीं। अपीलार्थी अथवा उनके अधिवक्ता के हाजिर नहीं आने से अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखगार भिजाई जावें। तहत का रेकार्ड नियमानुसार मय अहकाम की प्रति के भिजवाया जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">-S/D- (पीयूष समारिया) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 25.07.2023</p> 	